इंडियन बैंक
Indian Bank

उधारकर्ताओं के लिए सूचना

इनफार्मेशन यूटिलिटी को वैधानिक और विनियामक प्रकटीकरण

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआइ) विनियम, 2017 के अनुसार, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) ने इनफार्मेशन यूटिलिटी की स्थापना की है और इसने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। इस संहिता और विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, बैंकों को उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं से संबंधित जानकारी को इनफार्मेशन यूटिलिटी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आईबीसी 2016 की धारा 3(13) के तहत परिभाषित वित्तीय जानकारी को एनईएसएल संग्रहीत करेगा और इसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ ऋण के संबंध में चूक साबित करने के लिए किया जाएगा।

इस संबंध में इंडियन बैंक ने 12.11.2018 को देश की पहली इनफार्मेशन यूटिलिटी अर्थात मेसर्स नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ एक समझौता किया है। एनईएसएल एक विनियमित संस्था है जिसका मुख्य कार्य वित्तीय सूचना का संग्रहण, मिलान और प्रसार करना है। एनईएसएल इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिलेखों और सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसके प्रमाणीकरण की जानकारी लेता है, सूचनाओं को गोपनीय तरीके से बनाए रखता है एवं इस प्रकार एकत्रित और संग्रहीत वित्तीय सूचनाओं तक केवल उन लोगों को पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें आईबीसी और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सूचना तक पहुंच की अनुमति होती है।

आईबीसी और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुपालन में, बैंकों द्वारा समय-समय पर साझा की गई वित्तीय जानकारी प्राप्त होने पर, 'एनईएसएल', उधारकर्ताओं/गारंटरों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर अपने ई-मेल आईडी से बैंक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार एक ई-मेल भेजेगा/बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजेगा, जिसमें ऋण सुविधा लेने वाले सभी पक्षों से अनुरोध किया जाएगा कि वे या तो एनईएसएल को प्रस्तुत वित्तीय जानकारी के रिकॉर्ड को प्रमाणित करें या रिकॉर्ड को अस्वीकार कर दें (अस्वीकृति के लिए वैध कारण दिए जाने चाहिए)। इनफार्मेशन यूटिलिटी सेवाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) https://www.nesl.co.in/faq-iu पर उपलब्ध हैं।

लागू प्रभार, उधारकर्ता के खाते से डेबिट कर दिए जाएंगे।

एनईएसएल की वेबसाइट पर जाने के लिए यूजर आईडी कैसे बनाएं:
संस्थाओं/उधारकर्ताओं/सह-दायित्वकर्ताओं/जमानतदाताओं/बंधककर्ताओं को, जैसा भी मामला हो, संस्थाओं/व्यक्तियों के लिए यूजर आईडी बनाने और पंजीकरण के उद्देश्य से एनईएसएल की वेबसाइट (https://iu.nesl.co.in/) पर लॉग इन करना आवश्यक है।

हमारे उधारकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे निम्नलिखित नेविगेशन को फॉलो करें ताकि उपयोगकर्ता पंजीकरण से संबंधित एनईएसएल की नवीनतम प्रक्रिया/दिशानिर्देशों से अपडेट रहें।

प्रथम चरण : https://www.nesl.co.in/ पर जाएँ।

द्वितीय चरण : "**IU Services**" टैब चुनें और स्क्रॉल डाउन मेनू से "Borrower/Co-obligant/Guarantor" लिंक चुनें

तृतीय चरण : उपरोक्त लिंक से – "**Guidance for Registration of Users**" पर जाएं ।

पंजीकरण के बाद, उधारकर्ता बैंक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को देख सकते हैं और आधार ई-साइन या ई-टोकन आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उस पर हस्ताक्षर करके, उसे प्रमाणित कर सकते हैं। किसी भी अतिरिक्त सहायता के लिए ग्राहक एनईएसएल हेल्प डेस्क टीम से 1800 599 2345 /helpdesk@nesl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

नोट: उपर्युक्त सामग्री केवल उधारकर्ताओं को सूचना देने और सूचित करने के लिए है तथा इसमें किसी प्रकार के व्यवसाय का अनुरोध नहीं किया गया है।